ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अ.शा.प.सं.91-1/2024 (जीएस) 10 वैशाख 1946/30 April, 2024

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप विदित है, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश प्रदान करने के लिए 9 दिसंबर, 2013 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को अधिसूचित किया गया था।

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है।

लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है।

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 को भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया है, जो यूजीसी की वेबसाइट अर्थात, www.ugc.gov.inपर उपलब्ध है। ये विनियम उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) की जिम्मेदारियों, शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत करने और जांच करने की प्रक्रिया, अंतरिम निवारण, दंड एवं क्षतिपूर्ति, अनुपालन के परिणामों आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, सांविधिक प्रकृति के होने के कारण, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। विशेष रूप से, इन विनियमों के विनियम 4 का उप-विनियम (1) अधिदेशित करता है:

"…..प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी जेंडर सेंसिटाइजेसन के लिए एक आंतरिक तंत्र सहित एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे।"

इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को निम्नलिखित कार्रवाई करने के लिए बार-बार परामर्शिकाएं जारी की है:

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337 | E-mail : secy.ugc@nic.in

i. लिंग आधारित हिंसा से निपटने और जेंडर सेंसिटाइजेसनकार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) और एक विशेष/महिला प्रकोष्ठ का गठन करना।

ii. कर्मचारियों में लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे कैसे रोका जाए के लिए भवनों में विशिष्ट स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना।

iii. संस्थानों में सूचना पट्ट पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित करना।

iv. लैंगिक उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाला एक बिलबोर्ड रखना। बिलबोर्ड पर एक टोल-फ्री नंबर और प्रतिबद्ध दूरभाष संख्या प्रदर्शित की जानी चाहिए।

v. संकट में महिलाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता नंबर 112 प्रदर्शित करना।

vi. अपने संबंधित पोर्टल पर निम्नलिखित अपलोड करना:

- "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015"
- आंतरिक शिकायत समिति के गठन के विवरण के साथ इसके सदस्यों की संपर्क सूचना जैसे नाम, दूरभाष संख्या, पता आदि ।

vii. संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी को अपने संबद्ध महाविद्यालयों को भी प्रसारित करें, और पूर्वोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में वर्ष **2023-24** के लिए सभी विवरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से सक्षम पोर्टल अर्थात saksham.ugc.ac.inऔर UAMP पोर्टल अर्थात uamp.ugc.ac.in पर उपलब्ध प्रारूप में यथाशीघ्र भरें।

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।